



॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल कांगड़ी (समविश्वविद्यालय), हरिद्वार

(यू0जी0सी0 एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अन्तर्गत नैक मूल्यांकित समविश्वविद्यालय)

Gurukula Kangri (Deemed to be University), Haridwar

(NAAC Accredited Deemed to be University u/s 3 of UGC Act 1956)

Ref : Examination Section (Evaluation)/

Date : 01.08.2026

कार्यालय आदेश

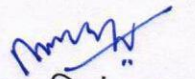
समविश्वविद्यालय द्वारा समसेमेस्टर परीक्षा मई-2026 के अधिकांश परीक्षा परिणाम अद्यतन घोषित हो चुके हैं । इच्छुक छात्र/छात्राएं अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन (Re-evaluation) अथवा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाएं देखने के सम्बन्ध में समविश्वविद्यालय के पण्डित हरिश्चन्द्र भवन (प्रशासनिक भवन 2) स्थित शुल्क-काउण्टर से आवेदन फार्म प्राप्त कर, भर कर, शुल्क जमा कर एवं सम्बन्धित सेमेस्टर की समविश्वविद्यालय वेबसाइट www.gkvedu.in से अंकपत्र डाउनलोड कर परीक्षा नियमावली बिन्दु 37.D* का अनुपालन करते हुए परीक्षा नियंत्रक-कार्यालय में संबंधित पाठ्यक्रम की अंकपत्र परीक्षा परिणाम की घोषित तिथि के 15 दिन के अन्दर अथवा दिनांक 17.08.2026 तक जमा करना सुनिश्चित करें । तत्पश्चात कोई भी फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

*परीक्षा नियमावली बिन्दु 37.D – “परीक्षार्थी केवल दी गयी परीक्षा में 1/3 (एक तिमाही) प्रश्न पत्रों में ही पुनर्मूल्यांकन करा सकता है ।”

NOTICE

The Deemed to be University has declared the results of most of examinations of May-2026 till date. The student willing to Re-evaluate the evaluated answer sheets or to see the evaluated answer sheets can fill the prescribed form by keeping in mind the rule 37.D*, available at fee counter in Pandit Harishchandra Bhawan (Administrative Block-2) and submit it along with the copy of the downloaded marksheet from www.gkvedu.in to the office of the Controller of Examinations Room No. 305. The student can apply within 15 days of the date of result declaration or till 17.08.2026. Thereafter no forms would be accepted.

*Exam rule 37.D The student can apply for Re-evaluation in 1/3 paper of the given examination.


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि :

1. मान्य कुलपति जी, सूचनार्थ
2. कुलसचिव, सूचनार्थ
3. वित्ताधिकारी, सूचनार्थ
4. समस्त संकायाध्यक्ष/कोर्डिनेटर्स/विभागाध्यक्ष
4. शुल्क लिपिक